रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 267] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 9, 1977/श्रावण 18, 1899

No. 267] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 9, 1977/SRAVANA 18, 1899

इस भाग को भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate page is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August 1977

G.S.R. 563(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely —

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the first proviso to rule 6 of the Passports Rules, 1967 (hereinafter referred to as the said rules), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely —

"(i) furnishes a certificate from a Member of Parliament or from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to Government or from a Magistrate of the First Class,"

3 In Schedule III to the said rules, in Form EA(P)-1, under the heading "Verification Certificate" for the portion beginning with the words "caution" and ending with the words and bracket "First Class)", the following shall be substituted, namely:—

"Caution. This is an important document and should be signed after due consideration (To be signed by a Member of Parliament or an officer not below the rank of a Deputy Secretary to Government or a Magistrate of the First Class)."

[No. VI/401/18/77]

L. N. RANGARAJAN, Jt Secy

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1977

सा०का०नि० 563 (अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पासपोर्ट नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) ये नियम पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1977 कहलायेंगे ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जायेंगे ।

2 पासपोर्ट नियम, 1967 (जिनका उल्लेख एतदोपरान्त 'उक्त नियम' कहकर किया गया है) के नियम 6 के प्रथम परन्तुक में धारा (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, यथा :—

"(i) किसी संसद सदस्य अथवा किसी अधिकारी से जो सरकार में उप सचिव से नीचे के दर्जे का न हो अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से प्रमाण-पत्र पेश करता है ;"

3. उक्त नियमों की अनुसूची III में, फार्म ईए (पी)–1 में, शीर्षक "सत्यापन प्रमाण-पत्र" के अन्तर्गत शब्द "सावधान" से प्रारम्भ होने वाले और शब्द तथा कोष्ठक "प्रथम श्रेणी" पर समाप्त होने वाले अंश के लिए निम्नलिखित को रखा जाएगा, यथा :—

"सावधान. यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इस पर अच्छी तरह सोच-विचार कर के ही दस्तखत किए जाने चाहिए (संसद सदस्य अथवा किसी अधिकारी द्वारा जो सरकार में उप सचिव से नीचे के दर्जे का न हो, अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरों के लिए)" ।

[सं० VI 401 18 77]

एल० एन० रंगाराजन, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977